



समक्ष : न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2015/निगरानी

15/3574-I-15

श्री. एच. वी. दुवे ए.एस.
द्वारा आज दि. 2-11-15 को
प्रस्तुत
प्र.कं. 2-11-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1-धर्मेन्द्र पुत्र कैलाश नारायण ब्राम्हण,
निवासी ग्राम कराहल तह. कराहल जिला
श्योपुर म.प्र.

2-देवेन्द्र पुत्र बोदू सिंह यादव

3-उत्तम सिंह पुत्र बोदू सिंह यादव,
दोनो निवासी ग्राम कराहल तह. कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

.....निगरानीकर्ता / आवेदकगण
बनाम

1-कलेक्टर जिला श्योपुर

2-ग्राम पंचायत कराहल द्वारा सचिव
ग्राम पंचायत जनपद पंचायत कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

.....गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत म.प्र.भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50
विरुद्ध कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्र.कं. 01/15-16/
अ-19(2)में पारित आदेश दिनांक 06.10.15 एवं ग्राम
पंचायत कराहल का ठराव प्रस्ताव क्र.08 दिनांक 02.10.15

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण / आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन निम्न

प्रकार पेश है:-

निगरानी का संक्षिप्त सार :-

यह कि निगरानीकर्ता कं. 1 की भूमि ग्राम कराहल में सर्वे कं.
1406/1 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा भूस्वामी की भूमि है जो न्यायालय अपर कलेक्टर
महोदय जिला श्योपुर के प्र.कं. 165/2000-01/निगरानी में पारित आदेश दिनांक
13.09.2001 से प्राप्त हुई है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता कं. 1 को भूमि आवंटन के विरुद्ध
रंजिशन नियम विरुद्ध रंजित सिंह नामक व्यक्ति की ओर से विधि विरुद्ध बक्शी
सिंह नामक व्यक्ति ने न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चम्बल संभाग मुरैना के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R. 3574-4/15... जिला... खण्डपुर...

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

19 17.15
m

अनुवृत्ति आदेश की ओर लक्षित शासकीय अधिकारी
 को सूचना देकर
 कार्यवाही करने को आदेश दिया
 कि जो कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है
 उसी क्रम में आगे बढ़ाई जाए
 और जो कार्यवाही अभी तक
 शुरू नहीं हुई है उसे
 जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए
 और अंततः कार्यवाही
 पूर्ण हो सके।

[Signature]
 19/11/15
 19.11.15

